मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 दिनांक 8 फरवरी 1985 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश शासन

आदिमजाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

भोपाल दिनांक 26 दिसम्बर 1984

क्र. एफ.-8-5-पच्चीस-4-84—भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16 (4) में निहित निर्देशों की पूर्ति हेतु राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नांकित अनुसूची में दी गई जातियों के नागरिकों के वर्ग को सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग घोषित करता है:-

अनुसूची

क्रमांक (1)	जाति/उपजाति/वर्ग समूह (2)
1	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव, यादव, बरगाही, बरगाह, ठेठवार रावत, गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत), महकुल, गोप, गवाली, लिंगायत.
2	असारा, असाड़ा.
3	बैरागी (वैष्णव)
4	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धुरिया, लभाना लबाना, लामने.
5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमायट, कुमावत, बारई, बरई (चौरसिया).
6	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा).
7	बारी.
8	बसुदेव, बसुदेवा, बासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, धारबार.
9	भड़भूजा, भुंजवा, भुर्जी.
10	भाट, चारन, सुतिया, सालवी, राव, जसमालोंधो, जसोंधी, मदसोनिया.
11	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मन्धाव.
12	ढीमर, भोई, कहार, धीवर, मल्लाह, नावड़ा, तुरहा केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम). कीर (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर), ढिलिया, बृतिया, सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में), सोंधिया, मांझी.
13	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार.
14	भूतिया, भुतिया.
15	भोपा, मानभाव.
16	भटियारा.
17	चुनकर, चुनगर, कुलबंधिया, राजगिर.
18	चितारी.
19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, माची (नामदेव).
20	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर), बट्ठी बरठा, रजक.
21	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज तहसील को छोड़कर)
22	किरार, किराड़, धाकड़.
23	गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाडरी, धारिया, घोषी, (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया, (पाल बघेल).
24	कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोड़ार.
25	कोष्टा, कोष्टी, (देवांगन). कोस्टा, माला, पदमशाली शाली, सुतसाली, सलवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी कोस्काटी (लिंगायत), गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, भरवाल, हुकर, कोस्हाटी.
26	ढोली/दफाली/ डफली, ढोली, दमामी, गुरव.
27	गुसाई, गोस्वामी.
28	गूजर (गुर्जर).
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गाड़ोले, ढुंगा, लोहार, लोहपटा, गाड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा).
30	गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास.
31	घोषी.
32	सोनार, सुनार, झारी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी (स्वर्णकार).
33	(अ) काछी (कुशवाह शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर. (ब) माली (सैनी), मरार.
34	जोशी (भड्डरी), डकोथा, डकोता.
35	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर.
36	ठठरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, पड़वा, झारिया.
37	खातिया, खाटिया, खाती.
38	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर)
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी, गबेल (गमैल), सिरवी.
40	कमरिया.
41	कोरव, कांवरे.
42	कलार (जायसवाल), कलाल, डडसेना.
43	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा.
44	लोनिया, लूनिया, ओड़, ओड़े, ओड़िया, नोनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा.
45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाम्ही, सरेटे
46	नायटा, नायता.
47	पनका/पनिका (छतरपुर, पन्ना दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर).
48	पटका, पटकी, पटवा।

(1)	(2)
49	लोधी, लोधा, लोध.
50	सिकलीगर
51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)
52	तुरहा, तिरवाली, बड्डर, मौर्या.
53	तवायफ, किसबी, कसबी.
54	बोवरिया.
35	रोतिया, रौतिया.
56	मानकर, नहाल.
57	कोटवार, कोटवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर)
58	खैरवा.
59	कोड़ा (तंवर)
60	मोवार.
61	रजवार.
62	अधरिया
63	तिऊर, तूरी.
64	भारुड़
65	सुत, सारथी, सईस/सहीस
66	तेलंगा, तिलगा.
67	राघवी.
68	रजभर
69	धारोल
70	सरगरा
71	गोलान, गवलान, गौलान.
72	रजझड़, रज्झड़.
73	जादम
74	दांगी
75	गयार/परधनियां.
76	कुड़मी
77	मेर
78	बया महरा/कौशल, बया.
79	बुनकर.
80	सिक्ख हरिजन.
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म अथवा बौद्ध धर्म [नव बौद्ध] स्वीकार कर लिया है.

मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह

(1)	(2)
82	[1] रंगरेज.
	[2] भिश्ती.
	[3] छीपा
	[4] हेला.
	[5] भटियारा.
	[6] धोबी.
	[7] मेवाती.
	[8] पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर
	[9] कुंजड़ा, राइन.
	[10] मनिहार.
	[11] कसाई, कस्साब.
	[12] मिरासी.
	[13] मिरधा.
	[14] बढ़ई (कारपेन्टर)
	[15] हज्जाम (बारबर)
	[16] हम्माल
	[17] जुलाहा, मोमिन.
	[18] लुहार, नागौरी.
	[19] तड़वी.
	[20] बंजारा.
	[21] मोची.
	[22] तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा); कांकर.
	[23] पेमदी.
	[24] कलईगर.
	[25] नालबन्द.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. मेहरा, सचिव

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अप्रैल 1997—चैत्र 15, शके 1919

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1997

क्र. एफ. 23-4-97-चौवन-1.—मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 8 फरवरी 1985 को प्रकाशित हुई है, द्वारा जारी सूची में मध्यप्रदेश की जातियों के नागरिकों के वर्ग को सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है. इस अधिसूचना में केवल जाति/उपजाति/वर्ग समूह का उल्लेख है. अपात्र व्यक्ति इससे लाभान्वित न हो इसलिए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि महाजन आयोग के अंतिम प्रतिवेदन के अध्याय 13 में जाति/उपजाति/वर्ग समूह के लोगों के परम्परागत व्यवसाय तथा आवश्यकतानुसार कैफियत का जहां-जहां उल्लेख है, उसके अनुसार अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी की गई पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची के कालम (1) एवं (2) के पश्चात् कालम (3) एवं (4) में क्रमशः परम्परागत व्यवसाय एवं कैफियत निम्नानुसार जोड़ा जाए.

2. मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 12-1-पच्चीस-4-94, दिनांक 30 जुलाई 1994 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी की गई पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची के सरल क्रमांक 39 पर अंकित कुलमी, कुरमार, कुन्बी, कुर्मी, पाटीदार, कूर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी, गवेल (गमैल), सिरवी में पाटीदार के आगे कोष्ठक में कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी को सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है.

मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संशोधन आदेश क्रमांक एफ. 8-19-पच्चीस-4, दिनांक 30 अगस्त 1995 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी की गई अनुसूची के सरल क्रमांक 09 पर पिछड़ा वर्ग जाति (1) धुरी या धूरी, (2) क्रमांक 12 पर कहरा, (3) क्रमांक 79 पर पिंजारा (हिन्दू), (4) क्रमांक 82 पर आंजना, (5) क्रमांक 83 पर धोरिया, (6) क्रमांक 84 पर गेहलोत मेवाड़ा, (7) क्रमांक 85 पर रेबारी, (8) क्रमांक 86 पर रूआला/रूहेला, (9) क्रमांक 87 (26) पर शोशगर जाति को सम्मिलित किया गया है.

उपरोक्त सम्मिलित की गई जातियों को यथावत वर्तमान सूची में सम्मिलित किया गया है. इन जातियों के संबंध में परम्परागत व्यवसाय एवं आवश्यकतानुसार कैफियत पृथक् से जारी किया जाएगा.

3. मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 23-76-पच्चीस-4 (5)-88, दिनांक 12 दिसम्बर 1988 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा घोषित अनुसूची के क्रमांक 80 पर उल्लेखित सिक्ख हरिजन शब्द को निरसित किया गया है.

आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 21-6-पच्चीस-5-92, दिनांक 29 अगस्त 1992 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी अनुसूची के सरल क्रमांक 12 पर अंकित जातियां ढीमर, कहार, धीवर आदि के साथ सम्मिलित मांझी को इस सूची से विलोपित किया गया है.

आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संशोधन आदेश क्रमांक एफ. 8-19-95-पच्चीस-4, दिनांक 30 अगस्त 1995 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी की गई अनुसूची के सरल क्रमांक 52 पर अंकित मिर्धा तथा सरल क्रमांक 79 पर अंकित बुनकर को विलोपित किया गया है.

उपरोक्त विलोपित जातियों को वर्तमान सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है.

4. आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संशोधन आदेश क्रमांक 8-19-95-पच्चीस-4, दिनांक 30 अगस्त 1995 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी सूची के सरल क्रमांक 21 पर मीणा समूह जातियों के सम्मुख दी गई टीप "सिरोंज तहसील को छोड़कर" के स्थान पर "सिरोंज एवं लटेरी तहसील छोड़कर" स्थापित किया गया है.

संशोधन आदेश क्रमांक 8-19-95-पच्चीस-4, दिनांक 30 अगस्त 1995 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी सूची के सरल क्रमांक 82 उप प्रविष्टि 17 पर अंकित शब्द "जुलाहा मोमिन" को विलोपित कर उसके स्थान पर "मोमिन जुलाहा" (वे जुलाहे जो मोमिन हैं) को स्थापित किया गया है.

उपरोक्त संशोधन को वर्तमान सूची में सम्मिलित किया गया है.

5. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. 53-57-चौवन-1-96, दिनांक 2 जुलाई 1996 द्वारा अधिसूचना क्र. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी की गई सूची के सरल क्रमांक 62 पर अंकित "अधरिया" के स्थान पर "अघरिया" को स्थापित किया गया है.

उपरोक्त संशोधन को वर्तमान सूची में सम्मिलित किया गया है.

सूची

क्रमांक (1)	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह (2)	परम्परागत व्यवसाय (3)	कैफियत (4)
1	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी, (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत.	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति.	"यादव", अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है. अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती हैं. यादव राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
2	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	—
3	बैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है. ब्राह्मण जाति के बैरागी शामिल नहीं किये गये हैं.
4	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना लामने.	घुमक्कड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति.	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राह्मण शामिल नहीं हैं.
5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, बारई, बरई, (चौरसिया).	पान उत्पादक व विक्रेता.	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं.
6	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा).	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना.	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)
7	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	—
8	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया कापड़ी, गोंधली, थारलार.	विरुदावली गाना एवं बैल भैंसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति.	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है.
9	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना.	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है.
10	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया.	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता-पाठ व विरुदावली का गायन करना.	—
11	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव.	कपड़ों में छपाई व रंगाई	—
12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सौंधिया.	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना.	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं. इसी रूप में सम्मिलित किया गया है. कीर जाति भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में अनुसूचित जनजाति में शामिल है. जालारी (जालारनलु) बस्तर जिले में पाई जाती है.
13	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार	कृषि एवं कृषि मजदूरी.	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नहीं हैं.
14	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	—
15	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राह्मण है. सूची में शामिल किया गया है
16	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करना है.	—
17	चुनकर, चुनगर, कुलवंधया, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना.	—
18	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	—
19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	—
20	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक.	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिले में अनुसूचित जाति में शामिल है.
21	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राह्मण नहीं है. मीणा/मीना सिरोंज तहसील में अनुसूचित जनजाति में घोषित है.

(1)	(2)	(3)	(4)
22	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
23	गड़रिया, धनगर, कुरमार हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले).	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियां अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं. पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रूप में शामिल किये गये हैं. बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं हैं.
24	कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार	कपास की रुई धुनकरने का कार्य करना. कड़ेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं.	—
25	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत) गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी.	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं.
26	धोली/डफाली/डफली/ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिवमंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती हैं.	इस समूह में ब्राह्मण समूह शामिल नहीं है.
27	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती	ब्राह्मण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं हैं.
28	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं हैं.
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, ढुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा).	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राह्मण वर्ग सम्मिलित नहीं हैं.
30	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं. जोगी व इस समूह की अन्य जातियां धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं.	"जोगी" धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राह्मण हैं, वे शामिल नहीं हैं.
31	घोषी	भैंस पालक व पशपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं.
32	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, (स्वर्णकार) अवधिया औधिया, सोनी (स्वर्णकार).	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना.	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं.
33	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर.	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी.	"कुशवाहा" काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति है. काछी जाति की शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं.
	(ब) माली (सैनी), मरार	—	कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.

(1)	(2)	(3)	(4)
34	जोशी (भड्डरी) डकोचा, डकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना.	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान ले जोशी जाति के लोग करते हैं. जोशी ब्राह्मण इस शामिल नहीं हैं.
35	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना कांच की चूड़ियां बेचना.	—
36	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया.	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना	—
37	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक	—
38	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों को छोड़कर).	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल है.
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी.	कृषक, कृषि मजदूरी	—
40	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	—
41	कौरव, कांवरे	कृषक	—
42	कलार (जायसवाल) कलाल, डडसेना	मदिरा (शराब) बेचना	—
43	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	—
44	लोनिया, लुनिया, ओड़, ओड़े ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा.	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना.	—
45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे.	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई हैं.
46	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	—
47	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर).	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना, बुनकर.	"पनिका" छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी व शहडोल जिले में जनजाति में शामिल है.
48	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	—

(1)	(2)	(3)	(4)
50	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना.	—
51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को "साहू" व "राठौर" कहते हैं. राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं है
52	तुरहा, तिरवाली, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना.	—
53	तवायफ- किसडी, कसडी	नाच-गाकर मनोरंजन करने वाले	—
54	बोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति "कोरकू" की उपजाति है. बैतूल जिले की भंवरगढ़ क्षेत्र में निवास करती है.
55	रौतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती हैं. पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थीं.	सरगुजा तथा जसपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं.
56	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना	मानकर की उपजाति "निहाल" अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
57	कोटवार, कोटवाल, (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर).	ग्राम चौकीदारी	"कोटवाल" जाति को भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है.
58	खैरुवा	कत्था बनाना	"खैरुवा", खैरवार की उपजाति है. "खैरवार" अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
59	लोढ़ा (तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन-यापन करना.	—
60	मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जनजाति
61	रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूर	—
62	अघरिया	कृषक, कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.
63	तिऊर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना.	—
64	भारूड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना.	मुगलकाल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे.

(1)	(2)	(3)	(4)
65	सुत सारथी-सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	—
66	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलुगू भाषी है. विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है.
67	राभबी	कृषि कार्य करना	—
68	रजभर	कृषि मजदूरी	—
69	खारोल	कृषि मजदूर	—
70	सरगरा	ढोल बजाना	—
71	गोलान, गवलान, गौलान	गाय भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना.	—
72	रज्जड़ रजझड़	कृषि मजदूरी	—
73	जादम	कृषि मजदूरी	—
74	दांगी	कृषक	"दांगी" राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है
75	गयार/परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले.	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं.
76	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते हैं.
77	मेर —	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद हैं.
78	बया महरा/कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशत: दुर्ग जिले में निवास करते हैं.
79	पिंजारा (हिन्दू)	—	—
80	विलोपित	—	—
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म अथवा बौद्ध धर्म (नव बौद्ध) स्वीकार कर लिया है.	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे हैं	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई व, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है.
82	आंजना	—	—
83	धोरिया	—	—
84	गेहलोत मेवाड़ा	—	—
85	रेवारी	—	—
86	रूआला/रूहेला	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
		मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह	
87	(1) रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(2) भिश्ती	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपड़ों में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहतर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	—
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय
	(7) मेवाती	कृषि, पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य
	(8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर.	रुई धुनाई का कार्य	हिन्दुओं की कड़ेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा, राईन	साग-सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग-सब्जी का कार्य.
	(10) मनिहार	कांच की चूड़िया व बिसात खाने का सामान बेचना.	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साब	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दू खटिक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरुदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति की तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढ़ई (कारपेन्टर)	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम.	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा.
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले
	(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	—
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं).	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं के लुहार/लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले.

(2)	(3)	(4)
19) तड़वी	कृषि कार्य	—
(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/समूह बैल गाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय.	हिन्दुओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
(21) मोची	चमड़े के जूते,चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय करने वाले
(22) तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर.	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना.	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले
(23) पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	—
(24) कलईगर	बर्तनों में अन्य सामान में कलई करना	—
(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का काम.	—
(26) शीशगर	—	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमर सिंह, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1997.

मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग.
मंत्रालय

: संशोधन :

क्रमांक एफ 8-19/95/25/4 भोपाल, दिनांक 30. 8. 95

राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 8-5/25/4/84, दिनांक 26. 12. 84 द्वारा पिछड़ा वर्ग की जातियों की जारी की गई अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

§1§ पिछड़ा वर्ग की सूची में से निम्न जातियों को विलोपित किया जाता है:-

§1§ पिछड़ा वर्ग की सूची के क्र0-52 पर अंकित "मिर्धा"

§2§ पिछड़ा वर्ग की सूची के क्र0-79 पर अंकित "बुनकर"

§2§ पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक-21 पर मीना समूह जातियों के सम्मुख दी गई टीप "सिरोंज तहसील को छोड़कर" के स्थान पर "सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर" स्थापित किया जाता है ।

§3§ पिछड़ा वर्ग की जारी सूची की प्रविष्टि क्रमांक-82 की उप प्रविष्टि-17 पर अंकित शब्द "जुलाहा मोमिन" को विलोपित कर उसके स्थान पर "मोमिन जुलाहा" §वे जुलाहे जो मोमिन हैं§ स्थापित किया जाता है ।

§4§ निम्नांकित जातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया जाता है:-

पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक	घोषित पिछड़ा वर्ग/जाति
09 पर	" धुरी या दुरी "
12 पर	" कहरा "
79 पर	" पिंजारा §हिन्दू§ "
82 पर	" आजना "
83 पर	" डोरिया "
84 पर	" रैकवार मेवाड़ा "
85 पर	" रैकवारी "
86 पर	" खाता / खैता "
87 §26§ पर	" शीशगर "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

§ अरविंद पाण्डे §
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ावर्ग कल्याणविभाग.

//2//

पृ0क्र0एफ 8-19/95/25/4

प्रतिलिपि:- भोपाल, दिनांक 30/8/1995

1/ रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0/जबलपुर, सचिव, लोकायुक्त, म0प्र0 भोपाल सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म0प्र0 भोपाल।

2/ राज्यपाल के सचिव, म0प्र0 राजभवन, भोपाल, सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल।

3/ शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष, म0प्र0

4/ मुख्यमंत्रीजी /उप मुख्यमंत्री /मंत्री गण/राज्य मंत्री गण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

5/ सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।

6/ रजिस्ट्रार, म0प्र0 राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर /भोपाल/इंदौर।

7/ अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।

8/ महाधिवक्ता, म0प्र0 जबलपुर /ग्वालियर/ इंदौर,

9/ सदस्य सचिव, म0प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग डी 20, जोन-11 महाराणा प्रताप नगर, भोपाल।

10/ आयुक्त, जनसंपर्क, म0प्र0 भोपाल / समस्त सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम,

11/ प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव, आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल।

12/ नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित। कृपया इस आदेश की 500 प्रतियां मुद्रित करके दिनांक 25/9/95 तक निश्चित रूप से इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग क0 विभाग,

प्र0/

मध्यप्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन

//अधिसूचना//

भोपाल दिनांक 07/08/2018

क्रमांक एफ 6-5/2009/54-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा तथा प्रस्ताव के परीक्षण को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग सूची की प्रविष्टि क्रमांक 12 में से सौंधिया जाति को विलोपित किया जावे।

2. पिछड़ा वर्ग की सूची में सौंधिया जाति को पृथक क्रमांक 93 पर निम्नानुसार दर्ज किया जावे-

पिछड़ा वर्ग की सूची का क्रमांक	जाति का नाम	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
93	सौंधिया	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नोकरी करना, सिंघाड़ा व कमलगट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाने का कार्य। 2. कृषि कार्य एवं पशुपालन	(महाकौशल एवं विन्ध्य क्षेत्र के जिलों में) 2. समस्त प्रदेश। इसमें सौंधिया जाति के वे लोग भी जो अपने को सौंधिया राजपूत कहते हैं, शामिल होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(रमेश एस थेटे)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

7.8.18

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

//अधिसूचना//

भोपाल दिनांक 04/10/2018

क्रमांक एफ- 6-3/2018/54-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा तथा प्रस्ताव के परीक्षण को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 1 में ग्वाल, ग्वाला, जाति का समावेश करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Rameshathate

(रमेश एस थेटे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन 4.10.18
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय,भोपाल

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 2/ / 2019

क्रमांक एफ–6–2/2017/54–1: राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्र.57 पर अंकित "**कोटवार**" जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(रमेश एस.थेटे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन 22.8.19
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन

//अधिसूचना//

भोपाल दिनांक 09/08/2018

क्रमांक एफ 6-5/2013/54-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक 58 पर अंकित खैरूवा जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(रमेश एस थेटे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन 7.8.18
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2013—आश्विन 11, शक 1935

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 6-5-2009-चौवन-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 6-5-2009-चौवन-दिनांक 7 मई 2013 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

क्र. (1)	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह (2)	परम्परागत व्यवसाय (3)	कैफियत (4)
12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावडा/तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर, ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगराहा, जालारी, सोंधिया .	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल-गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना,	1. बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं. इसी रूप में सम्मिलित किया गया है. 2. राजगढ़, गुना, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, धार, इन्दौर, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में निवासरत सोंधिया जाति का परम्परागत व्यवसाय कृषि कार्य एवं पशुपालन है. (इसमें राजपूत शामिल नहीं होंगे)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरंजना रे, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

मध्यप्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रमांक/एफ 550/9-21/54-1/2002 भोपाल, दिनांक 17. 7. 2003

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल निम्नानुसार जातियों के सम्मुख कैफियत कालम में जातियों की बहुलता वाले जिलों का नाम शामिल किये जाने से क्षेत्र में भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है जबकि जिलों का नाम अंकित करने के पीछे शासन की मंशा क्षेत्रीय बंधन लागू करने की नहीं रही है।

अतः राज्य शासन द्वारा म०प्र० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्ग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्रमांक	जाति का नाम	सूची का सरल क्रमांक	कैफियत
1.	विश्नोई	90	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये मान्य ।
2.	सिंधारसार	87(35)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये मान्य ।
3.	गददी	87(36)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये मान्य ।
4.	गोपाल	1	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये मान्य ।
5.	जाट	90	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये मान्य ।

उपरोक्त जातियाँ सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है । अतः इन जातियों के व्यक्तियों को नियम व पात्रतानुसार पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावे ।

(डॉ० भागीरथ प्रसाद)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण वि...

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल –462004

—::अधिसूचना::—

भोपाल, दिनांक 16/10/2012

क्रमांक एफ 06–05/2012/54–1 :: मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 08–05–पच्चीस–4–84, दिनांक 26/12/1984 द्वारा जारी पिछड़ा वर्गों की जातियों की सूची में सरल क्रमांक 05 के कॉलम–02 में उल्लेखित बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया) तथा कॉलम–03 में पान उत्पादक व विक्रेता, कॉलम–04 कैफियत में बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते है। अतः एतद् द्वारा क्रमांक–05 पर बरई को विलोपित, एवं चौरसिया को कोष्टक से मुक्त करते हुये, राज्य शासन द्वारा दिनांक 08/05/2008 तक किये गये संशोधनों में राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में निम्न विवरणानुसार संशोधन किया जाता है:–

पिछड़ा वर्ग की जारी सूची का क्रमांक	नाम जाति/ उपजाति/ वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
05	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, चौरसिया	पान उत्पादक व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी० एस० खैरवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 10.9.98

क्रमांक एफ 23-41/98/54-1. मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4/97/चौवन-1, दिनांक 2 अप्रेल, 1997 द्वारा प्रसारित सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची के सरल क्रमांक-36 पर अंकित "ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया" में "झारिया" जाति के पश्चात् "कसेर" जाति को जोड़ा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(जव्वाद हसन)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: अधिसूचना ::

भोपाल दिनांक 21-9-98

पत्र क्रमांक एफ 23-14/98/54-1 — मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4/पीवक/1/97, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा प्रसारित सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची के सरल क्रमांक-53 पर अंकित "तवायफ" जाति को विलोपित किया जाता है। "तवायफ" जाति के विलोपित किये जाने के फलस्वरूप सरल क्रमांक-53 के कालम-2 में केवल "किरडी, "कलडी" जाति ही रहेंगी।

इसी प्रकार से उक्त अनुसूची के सरल क्रमांक-81 पर अंकित "अथवा बौद्ध धर्म ग्रहण बौद्ध" को विलोपित किया जाता है। "अथवा बौद्ध धर्म ग्रहण बौद्ध" को विलोपित करने के फलस्वरूप सरल क्रमांक-81 के कालम-2 में अब निम्नानुसार प्रावधान रहेगा :- "अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमर सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल –462004.

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक–27/09/2013.

कमांक–एफ–06–09/2013/54–1:– म.प्र.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना कमांक–एफ–08–05/पच्चीस–4/1984, दिनांक–26/12/1984 के द्वारा सूची में सरल कमांक–68 पर "रजभर" जाति को अधिसूचित किया गया है। अब एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है :–

पिछड़ा वर्ग की सूची कमांक	जाति	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
68	रजभर/राजभर	कृषि, मजदूरी	————

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुरंजना रे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल –462004.

<u>संशोधित अधिसूचना</u>

भोपाल, दिनांक–21/06/2013.

क्रमांक–एफ–06–11/2007/54–1:– भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक– 18.12.2002 द्वारा मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि कमांक–48 पर "सरगरा" जाति को जोड़े जाने के कारण म.प्र.शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना कमांक–एफ–06–11/2007/ 54–1, दिनांक–08/05/2008 की सूची के सरल कमांक–70 पर अंकित "सरगरा" जाति को सूची से विलोपित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्रीमती सुरंजना रे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल –462004.

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक– 11/09/2013.

क्रमांक–एफ–06–03/2012/54–1:– म.प्र.शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना कमांक–एफ–08–05/पच्चीस–4/1984, दिनांक–26/12/1984 की सूची के सरल कमांक–74 पर अंकित "दांगी" जाति को अधिसूचित किया गया है। उक्त में संशोधन कर अब निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है।

पिछड़ा वर्ग की सूची कमांक	जाति	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
74	दांगी/डांगी	कृषक	राजपूत इस सूची में सम्मिलित नहीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्रीमती सुरंजना रे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल –462004.

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक–27/09/2013.

क्रमांक–एफ–06–08/2013/54–1:–मध्यप्रदेश शासन,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक –एफ–08–19/पच्चीस–4/1995 दि–30/08/1995 की सूची के सरल क्रमांक–86 पर "रूआला/रूहेला जाति को अधिसूचित किया गया है। एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाताहै :–

पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक	जाति	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
86	रूवाला/रूहेला	कृषि	———

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुरंजना रे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: अधिसूचना ::

भोपाल दिनांक 9-5-2001

क्रमांक एफ 23-46/98/54-1 — राज्य शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4/पौक-1/97, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा प्रसारित सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह को पिछड़ा वर्ग की जातियों सूची के सरल क्रमांक 87 पर उपक्रमांक 1 से 26 तक घोषित है, निम्न विवरणानुसार नौ मुस्लिम बिरादरियों यथा (1) गोली, (2) राजगीर, (3) डफाली, (4) घोसी व गवली गोली, (5) सिकलीगर, (6) संतरास (7) खरादी कमनीगर, (8) नट एवं (9) मेव मेवाती मे से क्रमांक-7 पर अंकित खरादी कमनीगर बिरादरी को पिछड़ा वर्ग की जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल, 1997 की सूची के सरल क्रमांक 87(14) पर अंकित "बढ़ई" (कारपेन्टर) के पश्चात जोड़ा जाता है तथा शेष 8 बिरादरियों को पिछड़ा वर्ग की मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह की सूची के सरल क्रमांक-87 के उपक्रमांक-26 के आगे क्रमशः (27) से (34) तक जोड़ा जाता है । उनकी जाति के सामने कालम (3) एवं (4) में उनका परम्परागत व्यवसाय एवं कैफियत भी जोड़ा जाता है :-

अनु क्रमांक	अधिसूचना दि. 2 अप्रैल, 97 द्वारा जारी सूची का क्र-87 का उपक्रमांक	जाति (बिरादरी) का नाम	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1.	2.	3.	4.	5.
1.	(27)	गोली	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करना	क्र.-1 पर हिन्दू गोली के समकक्ष जाति
2.	(28)	राजगीर	ईंट की जुड़ाई एवं गारा भवन निर्माण का कार्य	क्र-17 पर हिन्दू राजगीर के समकक्ष जाति
3.	(29)	डफाली	[illegible]	क्र-26 पर हिन्दू डफाली के समकक्ष जाति

.......3....

1.	2.	3.	4.	5.
4.	(30)	घोषी व गवली गोशी	दूध बेचना व पशु चराना	क्र. 31 पर हिन्दू घोषी के समकक्ष जाति ।
5.	(31)	सिकलीगर	औजारों पर धार लगाना	क्र-50 पर हिन्दू सिकलीगर के समकक्ष जाति
6.	(32)	संगतराश	पत्थर की कढ़ाई एवं कटाई	सूची क्र-52 पर हिन्दुओं के समकक्ष मुस्लिम संगतराश पत्थर तराशने का कार्यकरते है ।
7.	–	खरादी कामगीर	लकड़ी पर खरादी का कार्य तथा साख का कार्य करना	यह जाति सूची के क्रमांक-87(14) पर अंकित बढ़ई (कारपेन्टर) के आगे जोड़ी जाने से स्थिति पूर्ववत रहेगी ।
8.	(33)	नट	कलाबाजी दिखाना	अनुसूचित जाति में सम्मिलित नट जाति के समकक्ष जाति
9.	(34)	शेख मेहतर	सफाई कामगार के रूप में कार्य करना ।	अनुसूचित जाति में सम्मिलित हिन्दू मेहतर के समकक्ष जाति

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डी. आर. भगत)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 27.01.2004

क्रमांक एफ 23-42/98/54-1. मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4/97/54-1, दिनांक 2 अप्रेल, 1997 द्वारा प्रसारित सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की जातियों क अनुसूची के सरल क्रमांक 87 के पश्चात् सरल क्रमांक 88 पर "बैसवार" जाति को जोड़ा जाता है। अनुसूची के कालम 3 में बैसवार जाति का परम्परागत व्यवसाय "कृषि एवं कृषि मजदूरी करना" जोड़ा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एस. एस. वानखड़े)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
मंत्रालय

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 31. 7. 2001

क्रमांक एफ 9-20/ /54-1. राज्य शासन द्वारा म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23-4/97/54-1, दिनांक 23 अप्रेल, 1997 द्वारा सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची प्रसारित की गई है। इस अनुसूची के सरल क्रमांक-88 पर विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-42/98/54-1, दिनांक 27. 1. 2001 द्वारा जोड़ी गई कैन्हार जाति के पश्चात निम्न विवरणानुसार सरल क्रमांक-89 पर "वाणी" जाति को, एवं इस जाति के समक्ष उल्लेखित परम्परागत व्यवसाय, कैफियत के आधार पर पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है:-

क्रमांक (सूची का) वर्ग समूह	नाम जाति/उपजाति	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
89	वाणी	आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय एवं ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में सड़क के किनारे दुकाने लगाने का छोटा-मोटा व्यवसाय करने वाले.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डी. आर. भगत)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल दिनांक 24 /1/2002

:: अधिसूचना ::

क्रमांक एफ 9-39/99/54-1/52 — राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23-4/97/54-1, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची प्रसारित की गई है । इस अनुसूची के सरल क्रमांक-89 पर जोड़ी गई "वाणी" जाति के पश्चात व सरल क्रमांक-90 पर "जाट" जाति को निम्न विवरणानुसार उसके समक्ष परम्परागत व्यवसाय कैफियत के अनुसार पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है :-

क्रमांक	नाम जाति/उपजाति	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
90	जाट	कृषि एवं कृषि मजदूरी	यह जाति मुख्यतः हरदा, होशंगाबाद ग्वालियर, मुरैना शिवपुरी, देवास, रायसेन इन्दौर रतलाम, छिंदवाड़ा नरसिंहपुर, जबलपुर खण्डवा जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डी. आर. भगत)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 3-9-2001 ।

क्रमांक एफ 9-34/2000/54-1 राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23-4/97/54-1, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की जातियों की अनुसूची प्रकाशित की गई है । इस अनुसूची के सरल क्रमांक 89 पर विभागीय अधिसूचना क्रमांक 9-23/2000/54-1 दिनांक 31-7-2001 द्वारा जोड़ी गई "बाणी" जाति के पश्चात निम्न विवरणानुसार सरल क्रमांक 90 पर बिश्नोई जाति को एवं इस जाति के समक्ष उल्लेखित परम्परागत व्यवसाय व कैफियत के अनुसार पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है :-

क्रमांक अनु-सूची	नाम जाति/ उपजाति/ सम्मिलित वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
90	बिश्नोई	कृषि एवं कृषि मजदूरी	यह जाति मुख्यतः म.प्र. के हरदा होशंगाबाद देवास खण्डवा नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी. आर. भगत)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.

मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त, 2003

आ दे श

क्रमांक एफ /6-1/2003/54-1 मध्य प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4/97/चौवन/एक दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा जारी पिछड़े वर्गों की जातियों की सूची में नवीन सरल क्रमांक 91 पर "राठौर" जाति को जोड़ते हुए परम्परागत व्यवसाय के कॉलम में "कृषि एवं कृषि मजदूरी" अंकित किया जाय :-

अतः राज्य शासन द्वारा म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्ग को सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्रमांक	जाति का नाम	मुख्य परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
91.	राठौर जाति	कृषि एवं कृषि मजदूरी	1. यह जाति मध्य प्रदेश में मुख्यतः डिण्डौरी, उमरिया व शहडोल जिलों में निवासरत है। 2. क्षत्रिय राजपूत राठौर इसमें शामिल नहीं होंगे।

अतः इन जातियों के व्यक्तियों को नियम व पात्रतानुसार पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे।

(भागीरथ प्रसाद)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल –462004.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक–01/10/2013.

क्रमांक–एफ–06–04/2013/54–1:– राज्य शासन द्वारा म0प्र0 राज्य पिछडा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक 92 पर विद्यमान पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाये गये बहावलपुरी मूल परिवार के लोगों को पिछडा वर्ग की सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक	जाति/उपजाति/वर्ग/समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
92	बहावलपुरी	कृषि, मजदूरी	विद्यमान पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाये गये मूल परिवार के लोगों को पिछडा वर्ग मान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुरंजना रे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक–एफ–06–04/2013/54–1.
भोपाल, दिनांक–01/10/2013.

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली.
2. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन, भोपाल.
3. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल.
4. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर म.प्र..
5. निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्रीजी/मंत्री/राज्य मंत्री, भोपाल.
6. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल.
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर (म.प्र.).

मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

:: अधिसूचना ::

भोपाल, दिनांक 20.4.05

क्रमांक एफ 10-2/54-1/04 :: मध्य प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4/97/चौवन/एक, दिनांक 2 अप्रेल, 1997 द्वारा जारी पिछड़ा वर्गों की जातियों की सूची में सरल क्रमांक 87(2) के "भिश्ती" के साथ अब्बासी", "सक्का जाति को जोड़ने तथा उनके समक्ष दर्शाये गये परम्परागत व्यवसाय एवं कैफियत पर निम्न विवरणानुसार पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है :-

अधिसूचना दिनांक 2 अप्रेल, 97 द्वारा जारी सूची का सरल क्रमांक	जाति (बिरादरी) का नाम.	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
87 (2)	"अब्बासी" "सक्का"	पानी भरने का काम एवं मजदूरी	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धन्धा

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के.सिंह.)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

// अधिसूचना //

क्रमांक एफ 23-70/98/54-1 भोपाल, दिनांक 20/8/02

राज्य शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4/पीवन-1/97 दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा सामाजिक एवं शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची प्रसारित की गई है, इस अनुसूची के सरल क्रमांक 87§8§ पर उल्लिखित "भिखारी गद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर" में से फकीर को धुनकर के बाद पढ़ते हुए फकीर के पश्चात् शाह, साईं को तथा नीचे कब्रखोदू को उसके समक्ष दर्शाये गये परम्परागत व्यवसाय एवं कैफियत के आधार पर पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, तथा इसी सूची के सरल क्रमांक 87§36§ पर अधिसूचना क्रमांक एफ 6-2/2001/54-1, दिनांक 23.11.2001 द्वारा जोड़ी गई गद्दी जाति के पश्चात् सरल क्रमांक 87§37§ पर मुकेरी, मकरानी बिरादरी को उनके समक्ष दर्शाये गये परम्परागत व्यवसाय एवं कैफियत के आधार पर निम्न विवरणानुसार पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है:-

अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल, 97 द्वारा जारी सूची का सरल क्रमांक 87 का उपक्रमांक.	जाति §बिरादरी§ का नाम	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1.	2.	3.	4.
87§8§	फकीर, शाह, साईं	भिक्षावृत्ति	—
	कब्रखोदू	कब्रखोदना	
87§37§	मुकेरी, मकरानी	पशुपालन एवं पशु व्यवसाय	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

§ डॉ. भागीरथ प्रसाद §
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.

आरक्षित

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 13-9-2001

क्रमांक एफ 9-21/2001/54-1 राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23-4/97/54-1 दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची प्रसारित की गई है। इस अनुसूची के सरल क्रमांक 37 (35) पर अधिसूचना क्रमांक 23-46/93/54-1 दिनांक 9-5-2001 के द्वारा जोड़ी गई मुस्लिम धर्मावलम्बी जाति "शेख मेहतर" के पश्चात निम्न विवरणानुसार सरल क्रमांक 37 (35) पर "नियारगर" जाति को उल्लेखित पर परम्परागत व्यवसाय एवं क्षेत्रफल के आधार पर पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है :-

अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा जारी सूची क्रमांक 87 का उपक्रमांक	जाति नियारगर का नाम	परम्परागत व्यवसाय	क्षेत्र/जिला
1	2	3	4
35	नियारगर	सुनार व सराफ की धूल खरीदने वाले की मिट्टी खरीद कर धोकर उससे धातु को एकत्रित कर सुनारों के पास बेचना	मुख्यतः से मंदसौर रतलाम, इन्दौर, देवास उज्जैन जिलों में निवासरत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

पी. आर. [illegible]
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय.

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 23. 11. 2001

क्रमांक एफ 6-2/2001/54-1. राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.23-4/चौवन-1/97, दिनांक 2 अप्रेल 1997 द्वारा प्रसारित सामाजिक एवं शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची प्रसारित की गई है । इस अनुसूची के सरल क्रमांक 87(35) पर अधिसूचना क्रमांक एफ 9-21/2001/54-1, दिनांक 13. 9. 2001 द्वारा जोड़ी गई [illegible] जाति के पश्चात 87(36) पर मुस्लिम धर्मावलम्बी "गद्दी" जाति को [illegible] दर्शाये गये परम्परागत व्यवसाय एवं कैफियत के आधार पर निम्न-विवरणानुसार पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है:-

अधिसूचना क्रमांक 2 अप्रेल, 1997 द्वारा जारी सूची का सरल क्रमांक 87 का उपक्रमांक	जाति (बिरादरी) का नाम.	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1.	2.	3.	4.
87(36)	"गद्दी"	पशुपालन, कृषि तथा मजदूरी.	यह जाति मुख्यतः म.प्र. में विदिशा, गुना, राजगढ़, इन्दौर, रतलाम, भोपाल, सतना तथा श्योपुर जिलों में निवासरत है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डी. आर. भगत) [illegible]
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.

मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: अधिसूचना ::

भोपाल, दिनांक 24.1.05

क्रमांक 10-13/54-1/2004 मध्य प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-4/97/चौवन/एक, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा जारी पिछड़े वर्गों की जातियों की सूची में विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-70/54-1/2002 दिनांक 20.8.02 द्वारा जोड़ी गई कुकेरो, मकरानी जाति को सरल क्र. 87(37) के पश्चात पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्र. 87(38) पर भांड/नक्काल जाति को जोड़ने तथा उनके समक्ष दर्शाये गये परम्परागत व्यवसाय एवं कैफियत के आधार पर निम्न विवरणानुसार पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है :-

अधिसूचना दिनांक ~~2 अप्रैल 97 द्वारा~~ [redacted] सरल क्र. 87 का उप क्रमांक	जाति (बिरादरी) ~~क्र. जाति~~	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	[redacted]	[redacted]
87(38)	भांड/नक्काल	राजदरबार व महफिलों में नौटंकी, नाच, गाने, कव्वाली बैण्ड बजाना व विभिन्न मजदूरी	यह जाति मुख्यत: मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिण्ड, रीवा, दमोह, एवं मुरैना जिलों में पाई जाति है, किन्तु सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के लिए मान्य होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(राम संजीवन)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मंत्रालय

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय

// अधिसूचना //

भोपाल दिनांक 7/12/2001

क्रमांक एफ 6-3/2001/54-1 - राज्य शासन द्वारा गोपाल जाति को पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4/97/चौवन-1, दिनांक 2 अप्रेल, 1997 में पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक-1 पर अंकित जातियों में "लिंगायत" के आगे "गोपाल" को जोड़ते हुए उसके समक्ष परम्परागत व्यवसाय कालम नं. (3) में "पशु पालन" तथा कैफियत कालम नं. (4) में "यह जाति मध्यप्रदेश के इन्दौर एवं खण्डवा जिलों में निवासरत है" जोड़ा जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी. आर. भगत)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 24.7.2001

क्रमांक एफ 9-10/99/54-1. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4/97/54-1, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा प्रसारित सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची के सरल क्रमांक-33 पर अंकित जातियों "कोयरी" या "कोइरी (कुशवाहा)" के आगे "कोहरी" जाति को जोड़ा जाता है । उक्त अनुसूची के कालम-3 "परम्परागत व्यवसाय" में "कृषि कार्य एवं मजदूरी" तथा कैफियत कालम-4 में "यह जाति मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिलों में पाई जाती है" भी जोड़ा जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
(डॉ. आर. भगत)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.

मध्य प्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

:: अधिसूचना ::

भोपाल, दिनांक 12.4.05

क्रमांक एफ 10-1/54-1/04 मध्य प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4/97/चौवन/एक, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा जारी पिछड़े वर्गों की जातियों की सूची में सरल क्रमांक 33 (क) में "मरार" के बाद फूलमाली (फूलमारी) को जोड़ने तथा उनके समक्ष दर्शाये गये परम्परागत व्यवसाय एवं कैफियत पर निम्न विवरणानुसार पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाता है :-

अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल, 97 द्वारा जारी सूची का सरल क्रमांक	जाति (बिरादरी) का नाम	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
33 (क)	फूलमाली (फूलमारी)	बागानों में फूलों की खेती, हार, माला बनाना।	यह जाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के बालाघाट, धार, खण्डवा, उज्जैन जिलों में पायी जाती है। किन्तु संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए मान्य होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के.सिंह)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 17/04/2023

क्रमांकः एफ 6–3/2022/54–1: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के उपरांत क्रमांक 94 पर ट्रांसजेण्डर समुदाय को म.प्र.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा–11(1) के अंतर्गत निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–

पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक	जाति/ उपजाति/ वर्ग/ समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
94	ट्रांसजेण्डर	—	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अशोक बर्णवाल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ. क्रमांकः एफ 6–3/2022/54–1 भोपाल, दिनांक 17/04/2023

प्रतिलिपिः–

1 सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
2 प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल।
3 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, भोपाल।
4 प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6 आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
8 उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ), मंत्रालय, भोपाल।

निरंतर....

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224] भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2023—आषाढ़ 28, शक 1945

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2023

क्र. एफ–3–3–4–0001–2023–चौवन–1.– राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक 76 से कुड़मी जाति का लोप करते हुए तथा उक्त सूची के अनुक्रमांक 39 पर उल्लिखित जातियों यथा कुरमी, कुर्मी आदि के साथ कुड़मी जाति को सम्मिलित करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन सूची का निम्नानुसार पुनरीक्षण करता है, अर्थात् :–

पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक	जाति/उपजाति/वर्ग/समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी, कुड़मी	कृषक, कृषि मजदूरी	–
76	कुड़मी का लोप कर क्रमांक 39 पर स्थानांतरित.	–	–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. नामदेव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.